निर्णय वइजलास श्री दिवांशु शर्मा आर ए एस
उपखंड अधिकारी बारां जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या :- 27/2018

दायरा दिनांक :- 7.03.2018

निर्णय दिनांक :- 28.03.2022

उनवान

1. चंपालाल पुत्र हजारीलाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील बारां हाल निवासी उम्मेदगंज तहसील अटरू जिला बारां
2. अशोक पुत्र हजारीलाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथ पुरा तहसील बारा हाल निवासी उम्मेदगंज तहसील अटरू जिला बारां
3. शांति बाई पुत्री हजारीलाल पत्नी गुलाब सिंह जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील बारां
4. कुंती भाई पुत्री हजारीलाल पत्नी मोतीराम जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील बारां हाल निवासी महाराजपुरा तहसील अटरू जिला बारा

बनाम

1. भगवान सिंह पुत्र भंवरलाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा
2. माणक चंद पुत्र भंवरलाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील बारां
3. धीरज पुत्र भंवरलाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथ पुरा तहसील बारां जिला बारा
4. कस्तूरी बाई पुत्री भंवरलाल पत्नी नाहर सिंह जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा हाल निवासी कोटडी तुलसा तहसील बारां जिला बारां
5. दयाराम पुत्र भागचंद जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा
6. राकेश पुत्र भागचंद जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा
7. जय सिंह पुत्र भागचंद जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा
8. शांति बाई पत्नी भागचंद जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:03:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

9. प्रेम भाई पुत्री भागचंद पत्नी शंभू जाति मीणा निवासी जगन्नाथ पुरा तहसील बारां हाल निवासी रुंडी तहसील किशनगंज जिला बारां

10. अकेला भाई पुत्री भागचंद पत्नी चंद्रप्रकाश जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा हाल निवासी कोटडी तुलसा तहसील बारां

11. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार बारां

वाद पत्र धारा 88,89,188 आर टी एक्ट

निर्णय दिनांक 28.03.2022

अभिभाषक उपस्थित:- 1. श्री धर्मेंद्र सिंह सोलंकी- वादी

2. श्री भगवान सिंह-प्रतिवादी 1,2

अभिभाषक वादी गण द्वारा वाद पत्र अंतर्गत धारा 88, 89 ,188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजीयात खसरा नंबर 275 रकवा 0.70 हेक्टेयर खसरा नंबर 276 रकवा 0.44 हेक्टेयर खसरा नंबर 277 रकबा 0.57 हेक्टेयर कुल किता 3 रकवा 1.77 हेक्टेयर वाके ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील बारां में स्थित है जो वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। उक्त विवादित आराजी के 1/2 हिस्से पर वादी गण अपने पिता श्री हजारी की मृत्यु के बाद से आज तक बिना किसी बाधा के काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वर्तमान में वादी 1/2 हिस्से पर वादी गण काबिज काश्त हैं तथा वादी गण ने इस वर्ष 1/2 हिस्से आराजी में फसल सरसों बोई है जो वादी गण की देखरेख में परवरिश हो रही है उक्त आराजी वादी गण के दादा व प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 के दादा परदादा रामपाल पुत्र हरलाल को पारिवारिक विभाजन में प्राप्त होकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई जो पूर्व में संवत 2015 से 2024 के [illegible] रिकॉर्ड में वादी गण के दादा व प्रतिवादी गण क्रम 1 ता 10 के दादा परदादा रामपाल व उसके भाई श्योपाल मंगला के नाम दर्ज थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:03:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

जमाबंदी संवत 2019 से 2022 के दर्ज खातेदार बीरबल अपने पिता रामपाल के भाई श्योपाल के गोद चला गया तथा खातेदार पांचीबाई चंपाबाई की मृत्यु हो चुकी है इस कारण उक्त बाद पत्र में अंकित आराजी को 1/2 हिस्से पर वादी गण व 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 काबिज काश्त है किंतु प्रतिवादी गण क्रम 1 ता 10 वादी गण को उनके कब्जे काश्त व हिस्से की आराजी से बेदखल करना चाहते हैं इसलिए वादी गण को अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाना आवश्यक हो गया है आराजी खाता संख्या 99 की खसरा नंबर 275 रकवा 0.76 हेक्टेयर व खसरा नंबर 276 रकवा 0.44 हेक्टेयर खसरा नंबर 277 रखवा 0.57 हेक्टेयर कुल तीन किता रकवा 1.77 हेक्टेयर ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील बारां जिला बारां के 1/2 हिस्से आराजी पर वादी गण स्वयं को खातेदार घोषित करवा कर राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दर्ज करवाने के वैधानिक अधिकारी हैं क्योंकि वादी गण के पिता हजारीलाल जी की मृत्यु के बाद 1/2 हिस्से पर काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं। वाद कारण प्रतिवादी गण 1 ता 10 द्वारा वादी गण को उनके खाते वह हिस्से की आराजी से बेदखल करने की धमकी देने पर दिनांक 5.2. 2018 को पैदा हुआ जो वर्तमान में भी पैदा हो रहा है। वादी गण द्वारा वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी गण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जरिए नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी क्रम 1 वादों की ओर से इकवाली जवाब दावा पेश हुआ। वादी गण द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम जगन्नाथपुरा संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 99 नकल प्रार्थना पत्र प्रतिलिपि प्राप्त करने **बाबत** , नकल प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के प्रति, नकल खतौनी बंदोबस्त संवत 2015 से 2024 खाता संख्या 59, नकल जमाबंदी ग्राम जगन्नाथपुरा संवत 2019 से 2022 नकल मिलान क्षेत्रफल संवत 2038 से 2057, नकल खतौनी बंदोबस्त ग्राम जगन्नाथपुरा संवत 2038 से 2057 खाता संख्या 87 पेश की गई। साक्ष्य वादी में चंपालाल, राजेंद्र सिंह, गुलाब सिंह के शपथ पत्र पेश किए गए।

अभिभाषक वादी गण द्वारा लिखित बहस पेश की गई अभिभाषक वादी गण द्वारा लिखित बहस में बताया गया कि वादी गण द्वारा ग्राम जगन्नाथ पुरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:03:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारॉं

Scanned with CamScanner

इंतकाल संख्या 5 सन 2019 से 22 ग्राम जगन्नाथपुरा एवं नकल जमाबंदी संवत 2019 से 22 ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील बारां खातेदार भंवरलाल बीरबल पुत्र रामपाल जाति मीणा सा0 **देह** की नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया रिकॉर्ड कीपर द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर यह नोट अंकित कर खारिज किया गया कि प्रार्थी का वांछित नकल नामांकन संख्या 5 हाल सेटलमेंट से पूर्व का रिकॉर्ड में फटा हुआ है अतः प्रार्थी को सूचित किया जाकर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना प्रस्तावित है नकल खतौनी बंदोबस्त संवत 2015 से 2024 खाता संख्या 59 में रामपाल, श्योपाल, मंगला आत्मज हरलाल कॉम मीणा साकिन दर्ज है नकल जमाबंदी ग्राम जगन्नाथपुरा संवत 2019 से 2022 खाता संख्या 59 में भंवर लाल बीरबल पुत्र रामपाल पाचीबाई बेटी रामपाल चंपा बेवा रामपाल हिस्सा 1/3 जमुना, भूली, वरजी बेटी श्योपाल व चंपा बेवा श्योपाल हिस्सा 1/3 मंगला पुत्र हरलाल हिस्सा 1/ 3 जाति मीणा सा0 देह दर्ज रिकार्ड है नकल भू प्रबंध विभाग की खतौनी बंदोबस्त संवत 2038 से 2057 खाता संख्या 87 में भंवर लाल पुत्र रामपाल, पाचीबाई बेटी रामपाल, चौथमल, दुलीचंद पुत्र वीरबल नटीवाई पुत्री बीरबल हिस्सा 1/ 5 जमुना, मूली, बरजी बेवा श्योपाल हिस्सा 1/5 मंगला पुत्र हरलाल हिस्सा 1/ 5 भेरिया पुत्र गंगाराम 1/5 भेरिया पुत्र विशना हिस्सा 1/ 5 कोम मीणा साकिन देह के नाम खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की ओर से इकवाली जवाब पेश किया गया जवाब दावा पेश कर वादी गण का बाद स्वीकार करने में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादी के जवाब दावा व प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड से यह साबित होता है कि वादी गण 1/2 हिस्से के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी हैं क्योंकि मृतक रामलाल के 3 पुत्र भंवरलाल हजारी व बीरबल थे बीरबल रामलाल के भाई श्योपाल के गोद चला गया था बीरबल गोद पुत्र जाने के कारण पिता रामलाल की भूमि में हिस्सा लेने का कोई अधिकार नहीं है इसलिए वादी को 1/2 एवं प्रतिवादी गण को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक उचित किया जाना न्यायोचित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:03:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Scanned with CamScanner

तहसील बारां की आराजी खसरा नंबर 275, 276, 277 कुल 3 रकवा 1.77 हेक्टेयर जो राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 के नाम दर्ज है उक्त विवादित आराजित के 1/2 हिस्से पर वादी गण अपने पिता हजारी की मृत्यु के बाद काबिज काश्त चले आ रहे हैं तथा प्रतिवर्ष फसल बोते व काटते चले आ रहे हैं उक्त आराजी वादी गण व प्रतिवादी गण क्रम 1 ता 10 के दादा परदादा रामलाल पुत्र हरलाल को पारिवारिक विभाजन में प्राप्त होकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुई है जमाबंदी संवत 2019 से 2022 में दर्ज खातेदार बीरबल अपने पिता रामलाल के भाई श्योपाल के गोद चला गया था तथा खातेदार पांचीबाई चंपा बाई की मृत्यु हो चुकी है इस कारण उक्त आराजी के 1/2 हिस्से पर वादी गण व 1/2 हिस्से पर प्रतिवादी क्रम 1ता 10 काबिज काश्त हैं लेकिन प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 वादी गण को उनके कब्जे काश्त व हिस्से की आराजी से जबरन बेदखल करना चाहते हैं जिसका प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 को कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं है इस कारण वादी गण अपने खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवा पाने के अधिकारी हैं प्रतिवादी क्रम 1 व 2 द्वारां उक्त दावे में अपना इकवाली जवाब दावा पेश किया है जिससे यह साबित होता है कि वादी गण हजारीलाल के वारिसान हैं और हजारीलाल मृतक रामपाल का पुत्र है जो प्रतिवादी क्रम 1,2,3,4 के पिता व प्रतिवादी क्रम 5,6,7,8,9,10 के पिता का सगा भाई है वादी गण के दादा रामपाल के इंतकाल की नकल रिकॉर्ड से नहीं मिल पाई क्योंकि रिकॉर्ड में नकल आवेदन पर यह नोट अंकित किया गया है कि इंतकाल कटा फटा हुआ है इस कारण इंतकाल नकल प्राप्त नहीं हो सकी है इसी कारण यह वाद न्यायालय हाजा में पेश किया गया है pw2 राजेंद्र सिंह pw3 गुलाब सिंह गवाहन के शपथ पत्र पेश किया है जिससे यह साबित होता है कि वादी गण अपने 1/2 हिस्से की आराजी पर काबिज हैं तथा उक्त 1/2 हिस्सा को पृथक करवा कर पृथक से अपनी खातेदारी में दर्ज करवा पाने के अधिकारी हैं वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

बहस अभिभाषक वादी गण सुनी गई पत्रावली एवं रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम जगन्नाथपुरा संवत 2071 से 2074 खाता संख्या 99 के अनुसार भागचंद व भंवरलाल के वारिसान के खातेदारी में उक्त विवादित आराजित दर्ज रिकाई है। नकल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:03:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बाराँ

Scanned with CamScanner

(6)

क्रियात्मक आदेश

वादी गण का वाद स्वीकार किया जाता है विवाद आराजी वाके ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील बारां के खसरा नंबर 275 रकबा 0.76 हे0 खसरा नंबर 276 रकवा 0.44 हेक्टेयर खसरा नंबर 277 रकवा 0. 57 हेक्टेयर कुल 3 किता रकवा 1.77 हेक्टेयर में वादी गण को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी गण के हिस्से 1/2 की आराजी पर शांति पूर्वक काश्त करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करें ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
आर.ए.एस
उपखंड अधिकारी बारां

उपखण्ड अधिकारी
बारां

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:03:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां (राज0)

डिक्री

वाद संख्या 27 / 2018	धारा अन्तर्गत **88,89 188** आर टी एक्ट,	निर्णय दिनांक – 28.03.2022
समक्ष : **श्री दिवांशु शर्मा** आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, बारां जिला बारां		
उपस्थिति :अभिभाषक वादी– श्री धर्मेन्द्र सोलंकी	अभिभाषक प्रतिवादी–	

वाद शीर्षक

उनवान

1- चंपालाल पुत्र हजारीलाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील बारां हाल निवासी उम्मेदगंज तहसील अटरू जिला बारां

2. अशोक पुत्र हजारीलाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथ पुरा तहसील बारा हाल निवासी उम्मेदगंज तहसील अटरू जिला बारां

3. शांति बाई पुत्री हजारीलाल पत्नी गुलाब सिंह जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील बारां

4. कुंती भाई पुत्री हजारीलाल पत्नी मोतीराम जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील बारां हाल निवासी महाराजपुरा तहसील अटरू जिला बारा

बनाम

1. भगवान सिंह पुत्र भंवरलाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा
2. माणक चंद पुत्र भंवरलाल जाति मीणा निवासी जगन्नाथपुरा तहसील बारां

निर्णयार्थ प्रस्तुत वाद मे यह आदेषित किया जाता है और तद्नुरूप डिक्री निर्गत की जाती है कि

वादी गण का वाद स्वीकार किया जाता है विवाद आराजी वाके ग्राम जगन्नाथपुरा तहसील बारां के खसरा नंबर 275 रकबा 0.76 हे0 खसरा नंबर 276 रकवा 0.44 हेक्टेयर खसरा नंबर 277 रकवा 0. 57 हेक्टेयर कुल 3 किता रकवा 1.77 हेक्टेयर में वादी गण को 1/2 हिस्से का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है प्रतिवादी क्रम 1 ता 10 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी गण के हिस्से 1/2 की आराजी पर शांति पूर्वक काश्त करने में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना करें ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करें और ना ही अपने प्रतिनिधियों से करावे।

साथ ही नियमानुसार .... रू0 का व्यय ... द्वारा ... को प्रदान किया जाए।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा के साथ आज दिनांक 28.03... निर्गत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.29 13:03:28 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बारां जिला बारां

क्र.सं.	व्यय मद	व्ययानुतोष वादी	प्रतिवादी
1.	वद पत्र/लिखित कथन		
2.	अभिभाषक पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
3.	साक्ष्य पत्रक (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
4.	प्रार्थना पत्र (स्टाम्प+लिखित सामग्री व्यय)		
5	पारिश्रमिक अभिभाषक		

Scanned with CamScanner